झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन कार्यालय, राँची)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–भोरंगाडीह एवं बाहाडीह, थाना–राहे, अंचल–राहे, जिला–राँची में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियेाजना–बंता–राहे पथ के 30 वें कि.मी. में भोरंगाडीह एवं बाहाडीह नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य परियोजना हेतु अपेक्षित है, प्रभावित परिवारों के पुर्नर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासन के रुप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–भोरंगाडीह एवं बाहाडीह, थाना–राहे, अंचल–राह, जिला–राँची में उपर्युक्त कथित परियेाजना के लिए भोरंगाडीह में रकबा–0.3779 एकड़ एवं बाहाडीहा में रकबा–0.9372 एकड़, कुल रकबा–1.3151 एकड़ भूमि मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

मौजा–भोरंगडीह

क्र0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1		**107**		गैरमजरुआ खास, परती कदीम	**0.3779**	रामचरण सिंह मुण्डा पिता–नटवर सिंह मुण्डा	खे0–103	खे0–108	सड़क	खे0–107 का अंश
		108		गैरमजरुआ खास, परती कदीम		पुष्कर मुण्डा				

मौजा–बाहाडीह

क्र0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
3		**342**			**0.9372**	जंगलकास महली वल्द रंजीतकास महली	खे0–341	खे0–343	सड़क	खे0–336 एवं 342
4		**343**				बकास्त मालिक	खे0–342	खे0–344	सड़क	खे0–343 का अंश
5		**344**				अज्ञात	खे0–343	खे0–345	सड़क	खे0–344 का अंश
6		**345**				विस्टू सिंह	खे0–344	खे0–345 का अंश	सड़क	खे0–345 का अंश
7		**341**				बारीबोस महली पिता–जीतुबोस महली	नाला	खे0–342	सड़क	खे0–341 का अंश

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि मे किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/सममाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची और उनके कर्मचारी.. .... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नही करेगा या ऐसा कोई अंतरण नही करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

अपर समाहर्त्ता,
राँची।